



2026:AHC:32686

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट ए संख्या **2178** सन् **2026**

दीपक कुमार श्रीवास्तव

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश एव 9 अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : हरी ओम साह, विवेक सिंह
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक सिंह और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद को सुना।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 1994 में संग्रहण चपरासी के पद पर नियुक्त किया गया और अब 18.06.2025 को संग्रहण अमीन के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की गई। याचिकाकर्ता के अनुसार, एक पद रिक्त है जिसके लिए उसके दावे पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि वह इसके लिए पत्र और योग्य है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निर्देशों के आधार पर कहा कि वह प्रत्यर्थी संख्या 4 से 10 तक की नियुक्ति पर प्रश्न नहीं उठा रहा है।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद ने यह तर्क दिया कि पदोन्नति कोई मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि विचारार्थ एक अधिकार है, वह भी रिक्ति की उपलब्धता और

2

पात्रता एवं उपयुक्तता के अधीन है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. बार द्वारा प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित के साथ प्रत्यर्थी संख्या 2/ जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर, मिर्जापुर, तहसील सदर, जिला मिर्जापुर के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे, जो उक्त अभ्यावेदन पर याचिकाकर्ता की पात्रता, उपयुक्तता और विचार क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर विधि के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर दृढ़तापूर्वक विचार करेगा।

13 फरवरी 2026

एन०एस० राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"